...(Interruptions)... The next question will not be answered. You are wasting time. *...(Interruptions)...* I am sorry. *...(Interruptions)...* नरेश जी, आप अपनी जगह पर जाइए। ...(**व्यवधान**)... यहां मत खड़ रहिए। ...(**व्यवधान**)... Please, thank you. *...(Interruptions)...* प्रकाश जी आप बैठ जाइए। आप्टे साहब, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, प्लीज़, अरे भाई बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Question No. 605. *...(Interruptions)...* Please, *...(Interruptions)...* पाणि जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... देखिए, जो सवाल खत्म हो गया है। ...(**व्यवधान**)... We are on to the next question. *...(Interruptions)...* I am sorry. *...(Interruptions)...* This is not a discussion; this is Question Hour. *...(Interruptions)...*

श्री रुद्रनारायण पाणि: एक ही परिवार के इतने लोगों ने आत्महत्या की है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Panyji, please. *...(Interruptions)...* देखिए, क्वेश्चन के through डिस्कशन नहीं हो सकता है। आपको यह बात मालूम है। ...(**व्यवधान**)... Will you please sit down? *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Dr. Thakur and Mr. Tiwari, both of you are senior Members. Please, pleae. *...(Interruptions)...* Questions have to be rotated*....(Interruptions)...* All the requests cannot be entertained. *...(Interruptions)...* Please understand. *...(Interruptions)...* आप बैठ जाइए, प्लीज़।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा: आप आधा घंटे का डिस्कशन करवाइए।

श्री सभापति: आप नोटिस दीजिए, उसके बाद डिस्कशन होगा। All right. Supplementary please.

वधवा समिति की रिपोर्ट में दिए गए सुझाव

†*605. **श्री प्रभात झा** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डी.पी. वधवा समिति की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि प्रतिदिन 100 रुपए से कम आय वाले प्रत्येक भारतीय को गरीब माना जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करते समय वधवा समिति के सुझावों पर अमल करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (घ) न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता वाली केंद्रीय सतर्कता समिति के अनुसार गरीबी का अनुमान ऐसे मापदंड पर नहीं किया जाना चाहिए जो कृषि श्रमिकों के लिए राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अथवा राष्ट्रय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (नरेगा) की धारा 6 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम हो। शहरी क्षेत्रों के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता समिति ने सुझाव दिया है कि निर्धारण का आधार क्षेत्र में अकुशल कामगार को देय न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक अवधारणा नोट परिचालित किया है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग और अन्य विशेषज्ञों तथा अर्थशास्त्रियों के साथ प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून पर परामर्श किए हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना

आयोग भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। गरीबी का अनुमान लगाने की विधि की समीक्षा करने हेतु योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह ने दिसम्बर, 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी योजना आयोग में जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद इसे जनता की जांच और टिप्पणियों हेतु खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

Suggestions of Wadhwa Committee Report

†*605. SHRI PRABHAT JHA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the report of D.P. Wadhwa Committee has suggested that every Indian with the income of less than Rs. 100 per day may be considered poor;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government is considering to carry out the suggestions of Wadhwa Committee while implementing the Food Security Law; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) According to Central Vigilance Committee (CVC) headed by Mr. Justice D.P. Wadhwa, the estimation of poverty should not be made on a criteria which is less than minimum wage fixed by the State for agricultural labourers or the wage fixed by the Central Government under Section 6 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (NREGA). In urban areas, the CVC has suggested that the basis for determination should be the minimum wage payable to an unskilled workman in the area.

The Department of Food and Public Distribution (DoF&PD) has circulated a Concept Note and held consultations on the proposed Food Security Law with all States/Union Territories, Central Ministries, the Planning Commission and other experts and economists. For estimation of poverty at National and State levels, Planning Commission is the nodal agency of Government of India. An Expert Group constituted by the Planning Commission to review the methodology for estimation of poverty has submitted its report in December, 2009, which is under examination in the Planning Commission.

Once the draft National Food Security Bill is finalized, it would be placed on the website of the DoF&PD for public scrutiny and comments.

श्री प्रभात झा: सभापति महोदय, इस सरकार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या हालत है, इस बारे में जस्टिस वधवा कमेटी की रिपोर्ट आई है। मैं उसकी एक-दो लाइनें पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद अपने प्रश्न पर आऊंगा। वधवा समिति ने खुलकर कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार के दल-दल में धंसी है। केन्द्र सरकार हर साल 50 हजार करोड़ रुपए, इस योजना पर खर्च करती है, लेकिन करीब 40 प्रतिशत से अधिक रकम राशन डीलर, अधिकारी व नेताओं के बीच में चली जाती है। अब इस सरकार की

†Original notice of the question was received in Hindi.

आंखों में जरा भी पानी है, तो जस्टिस वधवा समिति की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ ले और पढ़ भी लिया होगा, लेकिन इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम ला रही है। यह रिपोर्ट दिसम्बर, 2009 में सब्मिट की गई थी, अब मई, 2010 चल रहा है, तो आपने इतने समय में क्या किया? आप उत्तर दे रहे हैं कि योजना आयोग जांच कर रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री **प्रभात झा**: मैं सवाल ही पूछ रहा हूं, सर। एक्सपर्ट समिति ने रिपोर्ट दे दी, आप किससे जांच करवा रहे हैं? आपको इतनी देर क्यों लग रही है? क्या इस देश में गरीबों को मरने दोगे?

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

श्री प्रभात झा: सर, मैं क्वेश्चन ही कर रहा हूं।

श्री सभापति: अब तक आप क्या रहे थे?

श्री प्रभात झा: मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने अभी तक इसे लागू क्यों नहीं किया?

SHRI SHARAD PAWAR: The subject in question relates to the Wadhwa Committee's particular recommendation about who should be included in the BPL category. They have given certain advice to the Government of India. This particular subject was discussed in the House for one full day. Now, there are different reports from different expert committees. As I have already said, the Arjun Sen Gupta Committee has given certain figures, the Wadhwa Committee has given certain figures, the Tendulkar Committee has given certain figures and the Planning Commission has given certain figures. So, we need to come to a conclusion as to which figures should be accepted ultimately. Now, Government of India has referred this particular subject to the Planning Commission, which is the nodal agency. We are expecting a final communication from the Planning Commission. We would accept whatever the Planning Commission guides us and the suggestions that have been made by the Wadhwa Committee on the lines of these directions would be fully complied with.

श्री **प्रभात झा**: सभापति महोदय, केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इसकी राज्यों को बदनाम करने की नीयत है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश में 62 लाख बी.पी.एल. हैं, जबकि केंद्र सरकार कहती है कि 40 लाख बी.पी.एल. हैं। अब 22 लाख लोगों की नाराजगी किसको झेलनी पड़ती है? राज्य सरकार को। एक तो आप सामग्री देते नहीं, दूसरे संख्या दुगुनी है। आप कितनी कमेटियां बनाएंगे? ऐसा ही बिहार के साथ है। बिहार में कुल 1 करोड़ बी.पी.एल. हैं, जबकि आप सिर्फ 75 लाख को दे रहे हैं, बाकियों को आप दे ही नहीं रहे हैं। आप जान-बूझकर राज्यों को बदनाम करना चाहते हैं। आपकी नीयत ठीक नहीं है।

MR. CHAIRMAN: No allegations, please.

श्री **प्रभात झा**: मैं यह इसलिए जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी समिति है, उसका नाम बताइए, जो आपको एकदम सेट गरीबी की संख्या देती है? आपने आठ-दस कमेटियां बना दी हैं, आप कौन सी कमेटी की बात मानेंगे? योजना आयोग की मानेंगे या ...(**व्यवधान**)... वाधवा कमेटी की मानेंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: देखिए, आप सवाल पूछिए।

श्री प्रभात झा: किसी और की मानेंगे?

श्री शरद पवार: योजना आयोग की जो अल्टीमेट रिपोर्ट आएगी, हम उसको स्वीकार करेंगे।

DR. T.N. SEEMA: Sir, the criteria for identifying poor or BPL families are now being decided by the Central Government without taking into consideration the particular socio-economic

situation prevailing in each State. My question is: why can't there be more flexibility for the State Governments to fix their own criteria within a larger framework suggested by the Central Government?

SHRI SHARAD PAWAR: Talking about criteria, the first and most important point to be considered is, who are the people really eligible to take advantage of the various schemes, so that the number of eligible card holders is finalized and there has to be some criteria for that. Many States have their own criteria. For example, the Bihar Government have made a survey, arrived at a conclusion and they have come up with certain figures. Now, the figure which was accepted by the Government of India five years back and which has been implemented over the last five years is about six crore fifty-four lakhs. But, as against six crore and fifty-four lakhs, the State Government has actually allotted BPL cards to more than 11 crore people. So, there is a vast difference. That is why, somebody has to go into the details and give certain guidelines to us. Those guidelines will be applicable to all the States. That is the reason why we are waiting for the final decision. We are expecting a final decision at the earliest.

श्री **नरेश चन्द्र अग्रवाल**: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनका बी.पी.एल. कार्ड धारक का मानक क्या है? क्या यह सही है कि तेंदुलकर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी कि गांव में रहने वाला, जिसकी 360 रुपये प्रतिमाह आमदनी है, वह गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा और शहर में रहने वाले का मानक 560 रुपये प्रतिमाह होगा? यह सत्यता है कि महीने में 360 रुपये की आमदनी में कोई अपना जीवन-यापन नहीं कर सकता है। मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका बी.पी.एल. कार्ड पाने का मानक क्या है? दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 18 करोड़ से ऊपर है। आपके अनुसार वहां पर बी.पी.एल. की संख्या 1 करोड़ है. जबकि राज्य सरकार यह मानती है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ऊपर कार्ड धारक होने चाहिए। क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक, यह बताइए?

श्री शरद पवार: मैंने इसका जवाब दिया है कि अलग-अलग राज्यों ने इसकी डेफिनेशन अलग-अलग दी है। Rural Development Ministry ने इसकी एक definition करके कुछ सर्वे की है। प्लानिंग कमीशन ने अलग की है। राज्यों ने अलग की है। इसलिए अलग-अलग figures आते हैं। इसमें किसी को depth में जाकर कुछ सलाह देने की आवश्यकता है। इसीलिए प्लानिंग कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है और मुझे लगता है कि वह अपनी रिपोर्ट एक बजे के अन्दर पूरी करने वाला है। वह उत्तर प्रदेश के लिए जो figure देगा, हम उसको स्वीकार करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question Hour is over.

————————

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Irregularities in issue of BPL Cards

*606. SHRI KALRAJ MISHRA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the facility of BPL Cards, meant for people living Below Poverty Line (BPL), is not reaching the actual needy;